कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया

(जिला स्थापना शाखा)

आदेश

अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक–Xi-5/14/2163 अनु0 सा0 दिनांक–05.09.2015 के द्वारा श्री राजेश्वर प्रसाद यादव, राजस्व कर्मचारी (से0नि0) के विरूद्ध प्राप्त प्रपत्र–'क' के आलोक में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु इस कार्यालय के ज्ञापांक–675/स्था0 दिनांक–13.10.2016 के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, अलौली को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया था।

संचालन पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खगड़िया द्वारा श्री राजेश्वर प्रसाद यादव, राजस्व कर्मचारी (से0नि0) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन के पश्चात् पत्रांक–46, दिनांक–22.02.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध समर्पित किया गया है।

आरोप– श्री राजेश्वर प्रसाद यादव, सेवा निवृत राजस्व कर्मचारी, के विरूद्ध गठित प्रपत्र–'क' में अरोप है कि माननीय श्री रूदल राय, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0– 25 के आलोक में उक्त राजस्व कर्मी के द्वारा अंचल अधिकारी, अलौली को समर्पित भ्रामक उत्तर सामग्री, जो अपर समाहर्त्ता खगड़िया को भेजा गया था, के आधार पर सरकार को भ्रामक उत्तर सामग्री जिला से भेजे जाने के कारण जिला प्रशासन की छवि धूमिल हुई थी। इतने महत्त्वपूर्ण प्रितिवेदन को गहनता से जांच कर समर्पित नहीं किये जाने के कारण एक सरकारी सेवक के लिए गैर जिम्मेदराना कार्य एवं कर्त्तव्य के निर्वहन में उदासीनता का द्योतक है।

उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य– उपस्थापन पदाधिकारी–सह–अंचल अधिकारी, अलौली द्वारा उल्लेखित किया गया है कि संबंधित तारांकित प्रश्न के उत्तर की मांग संबंधित राजस्व कर्मचारी श्री राजेश्वर प्रसाद यादव से की गई थी। उनके द्वारा उत्तर सामग्री भी उपलब्ध कराया गया। उत्तर सामग्री तैयार करने हेतु आरोपी कर्मी पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला गया था।

आरोपी का स्पष्टीकरण– आरोपी राजस्व कर्मचारी द्वारा संचालन पदाधिकारी को समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित किया गया है कि माननीय श्री रूदल राय, स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न का उत्तर तत्कालीन अंचल अधिकारी अलौली श्री चौधरी वसंत कुमार के द्वारा जबरन कार्यालय में बैठाकर तैयार कराया गया। उनके द्वारा समर्पित जबाव में यह भी अंकित किया गया है कि मालगुजारी रसीद की प्रति संलग्न नहीं थी और न ही तौजी नं0, थाना नं0, जमाबंदी नं0 एवं मौजा का नाम अंकित था। अतः तारांकित प्रश्न ही भ्रामक था।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्यः– अरोपी के द्वारा प्रश्नावली के उत्तर सामग्री दबाव में तैयार किये जाने की बात कहीं गई है, वह सही नहीं है, उन्हें प्रश्नगत भूमि के स्थलीय भ्रमण एवं जांच परख कर ही उत्तर सामग्री तैयार करना चाहिए था। जो आरोपी के द्वारा नहीं कर जल्दबाजी में उत्तर सामग्री

तैयार कर अंचल अधिकारी को उपलब्ध कराया गया। आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है। वर्त्तमान में संबंधित राजस्व कर्मचारी सेवानिवृत हो चुके हैं एवं इनकी सेवा भी पेंशन प्रदायी नहीं है।

अतः आरोपी के विरुद्ध गठित आरोपों एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मंतव्य तथा आरोपी कर्मी द्वारा संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्यों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि आरोपी ने अपने जबाव में अंकित किया है कि उनसे जबरन कार्यालय में बैठाकर जबाव तैयार कराया गया है किन्तु उन्होने इसके समर्थन में साक्ष्य नहीं दिया है। संचालन पदाधिकारी ने भी आरोप को आंशिक प्रमाणित पाया है। उपस्थापन पदाधिकारी ने भी स्पष्ट किया है कि उत्तर सामग्री आरोपी के द्वारा ही उलब्ध कराया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि श्री राजेश्वर प्रसाद यादव, सेवानिवृत राजस्व कर्मचारी, अंचल अलौली के विरूद्ध कार्यों के प्रति लापरवाही का आरोप प्रमाणित है। अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के कंडिका 14(iii) के आलोक में आरोपी कर्मी श्री राजेश्वर प्रसाद यादव, राजस्व कर्मचारी दोषी हैं। चूंकि श्री यादव सेवानिवृत हो चुके हैं एवं उनका सेवा भी पेंशन प्रदायी नहीं है। अतएव उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए **मैं जय सिंह भा0प्र0से0 जिलाधिकारी, खगड़िया श्री राजेश्वर प्रसाद यादव सेवा निवृत राजस्व कर्मचारी अंचल, अलौली के विरूद्ध निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित करता हूँ।**

1. **निलंबन अवधि में जीवन निर्वाहभत्ता के अतिरिक्ति अन्य कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।**

श्री यादव के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

ह0/-
जिलाधिकारी
खगड़िया

ज्ञापांक 214 /स्था0 दिनांक 12/04/2018

प्रतिलिपिः– श्री राजेश्वर प्रसाद यादव से0नि0, राजस्व कर्मचारी, अंचल अलौली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, अलौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता खगड़िया/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी/जिलाधिकारी कार्यालय के सभी शाखा के प्रभारी पदाधिकारी कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया/सभी अंचल अधिकारी, खगड़िया जिला एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
खगड़िया.